

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-झाबुआ, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उप सचिव मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्रमांक / 108 / भू-अर्जन/री-1/2020

झाबुआ, दिनांक 27 / 1 / 2020

-: सार्वजनिक सूचना :-

[अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014]

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि माही परियोजना, तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ की नहरों के निर्माण हेतु ग्राम रायपुरिया (पटवारी हल्का नं.-59) तहसील पेटलावद, जिला-झाबुआ (म.प्र.) के खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रं. एफ 12-2/2014/सात/2ए/भोपाल, दिनांक 12-11-2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1	कोदरी पत्नि मानसिंग जाति मैडा पता झाबुआ मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	1324/2	0.07	-	0.07	
योग :-			0.07	-	0.07	

(प्रबल सिपाहा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, झाबुआ

पृष्ठां. क्रमांक / 109 / भू-अर्जन/री-1/2020

झाबुआ, दिनांक 27 / 1 / 2020

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर संचालक, विज्ञापन जनसम्पर्क संचालनालय, बाणगंगा रोड़, भोपाल, मध्य प्रदेश की ओर एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3- सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग झाबुआ (म.प्र.)।
- 4- जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी, जिला-झाबुआ की ओर जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं-1 झाबुआ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- सम्बंधित ग्राम रायपुरिया एवं ग्राम पंचायत रायपुरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(प्रबल सिपाहा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, झाबुआ